अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

आदेश

का0आ0सं0–प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018– / पटना, दिनांक

पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद अन्तर्गत SH-68 उपहारा से सेनारी पथ के निर्माण कार्य एकरारनामा सं0–02 CMBD / 2016–17 मेसर्स विजय कुमार सिंह को आवंटित किया गया था। उक्त कार्य की जांच उड़नदस्ता प्रमण्डल सं0–03 के द्वारा की गयी, जिसमें निम्नवत अनियमितताएँ के लिए उप सचिव, उड़नदस्ता, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–3443 (एस) अनु0 दिनांक–10.05.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी :–

(i) पथ के कि0मी0 3.00 में SDBC Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 3.76% पायी गयी है जो प्रावधानिक मात्रा 5.00% से कम है।

(ii) पथ के कि0मी0 3.00 में BM Gr-II में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा 2.23% पायी गयी है जो प्रावधानिक मात्रा 3.30% से कम है।

(iii) पथ के कि0मी0 3.00 में WMM materials का FI+EI औसतन 46.50% पाया गया जो प्रावधानिक मात्रा 30% (अधिकतम) से अधिक है।

उक्त अनियमितता के लिये विभागीय पत्रांक–3586 (ई0) दिनांक–25.05.2018 द्वारा संवेदक मेसर्स विजय कुमार सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह के पत्रांक–14 / 2018 दिनांक–13.12.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त पाया गया कि पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद अन्तर्गत SH-68 उपहारा से सेनारी पथ के निर्माण कार्य में SBDC Gr-II एवं BM Gr-II में अलकतरा की मात्रा क्रमशः 5% एवं 3.3% के विरूद्ध क्रमशः 3.76% एवं 2.23% पायी गयी है, जो निर्धारित Tolerance 4.19% एवं 2.84% से भी काफी कम है। फलस्वरूप संवेदक का सपष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स विजय कुमार सिंह, उत्तरी मंदीरी, छक्कन टोला, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कालोनी, पटना–1 (निबंधन सं0–अ0प्र0 / श्रेणी–01 (प्रथम)–587 / 2015 पथ) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका–11 (क) (ii) एवं विभागीय पत्रांक–4104 (ई0) दिनांक–28.10.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में दो वर्षो के लिए निलम्बित किया जाता है, साथ ही एकरारनामानुसार प्रावधान से कम अलकतरा की राशि की वसूली का आदेश दिया जाता है।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

कृ०पृ०उ०

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\RAKESH RANJAN\MS VIJAY KUMAR SINGH.DOCX

ज्ञापांक– प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018–   / पटना, दिनांक.................................

निबंधित

प्रतिलिपि :– मेसर्स विजय कुमार सिंह, उत्तरी मंदीरी, छक्कन टोला, पो0–जी0पी0ओ0, थाना–बुद्धा कालोनी, पटना–1 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018–   / पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद को निदेश दिया जाता है कि अलकतरा की राशि की वसूली के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई किया जाय।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018–   / पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / आयुक्त एवं सचिव / सचिव, प०नि०वि० / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / ऊर्जा विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018–   / पटना, दिनांक.................................

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित) / सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) / सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग / उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / नोडल पदाधिकारी, OPRMC Cell, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र0–7 / विविध–04–132 / 2018– 1637(8) / पटना, दिनांक 25/2/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

25/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

upload it 26.2.19

25/02/19

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\RAKESH RANJAN\MS VIJAY KUMAR SINGH.DOCX